

शिकायत निवारण तंत्र

चरण 1: शिकायत पंजीकरण का चैनल

1) शाखा

ग्राहक किसी भी शिकायत के लिए किसी भी शाखा से संपर्क कर सकता है, जहाँ शाखा प्रबंधक ग्राहक के साथ संचार का पहला बिंदु होगा,

2) ग्राहक सेवा केंद्र

ग्राहक 1800-103-9039 पर केंद्रीकृत ग्राहक सेवा टीम को भी कॉल कर सकता है।
ग्राहक की ओर से शाखा भी केंद्रीकृत ग्राहक सेवा को इसकी जानकारी दे सकती है।
केंद्रीकृत ग्राहक सेवा डेस्क का संपर्क विवरण भी प्रत्येक शाखा कार्यालय में प्रदर्शित किया जाता है।

3) हमें लिखें

ग्राहक हमें customercare@skfin.in पर ईमेल करके या हमारी वेबसाइट पर अपनी चिंता <https://www.skfin.in/contact-us> पर बताकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2: वृद्धि तंत्र

चरण 1 में समाधान आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है	यदि विवाद शिकायत का/ निपटारा पंद्रह दिनों के भीतर नहीं किया जाता है	यदि विवाद शिकायत का निवारण / एक महीने के भीतर नहीं किया जाता है
प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	तीसरा स्तर आरबीआई से) (अपील
श्री चेतन गुप्ता, शिकायत निवारण अधिकारी, जी1-2 आदर्श प्लाजा बिल्डिंग, खासा कोठी सर्कल, जयपुर-302001 ईमेल: customercare@skfin.in कार्यालय :0141-4161551 टोल फ्री नंबर: 1800-103-9039	सुश्री अनुभा खंडेलवाल, प्रमुख नोडल अधिकारी, एम-8, आदर्श प्लाजा, खासा कोठी सर्कल, जयपुर-302001 ई-मेल: pno@skfin.in कार्यालय: 0141-4161552 टोल फ्री :1800-103-9039	महाप्रबंधक, केंद्रीयकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017 टोल फ्री नंबर :14448 (सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे तक) शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल: https://cms.rbi.org.in https://sachet.rbi.org.in/

प्रत्येक माह का तीसरा गुरुवार शिकायत निवारण दिवस है, जिस दिन हमारे वरिष्ठ अधिकारी आपकी शिकायतों का समाधान करने के लिए शाखाओं/कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे। कृपया आएं।